

308

184

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर १००५०० लॉकर्ट नंबर १००५००

निगरानी 258-III-15



- 1. राज प्रताप उर्फ मुनाई प्रसाद पिता स्वर्गीय हीरालाल ब्रा. पेशवा छेती
- 2. चन्द्रप्रताप पिता स्वर्गीय हीरालाल ब्रा. पेशवा छेती
- 3. मुसम्माल फूलकुमारी विधवा गिरिजाराजब्रा.
- 4. धनश्याम प्रसाद पितरान स्वर्गीय गिरिजाराज ब्रा.
- 5. लक्ष्मोकान्त
- 6. रामकान्त
- 7. मानिन्द, प्रसाद

सभी का पेशवा छेती सभी निवासी ग्राम बरहट, तहसील चितरंगी, जिला सिंगरौली १००५००  
 आवेदकगण  
 बनाम

- 1. श्रीमती दुरघाटिया विधवा पत्नी जानकीराम ब्रा. साकिन बरहट, धाना व तहसील चितरंगी जिला सिंगरौली १००५००
- 2. मध्य प्रदेश शासन

अनावेदकगण

पुनरीक्षण विरुद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार तहसील चितरंगी, जिला सिंगरौली राजस्व प्रकरण 185 अ-19 १९८६×८७ आदेश दिनांक 6-5-87 जिसके द्वारा ग्राम बरहट, तहसील चितरंगी जिला सिंगरौली स्थित वादग्रस्त आराजी पुराना खसरा नम्बर 156/1 के अंश रकवा 2-023 हे० के वावत अनावेदिका कृ० के पक्ष में भूमिस्वामी स्वत्व प्रदान किया गया है

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू. रा.सं. 1959 तर्जित म.प्र.कृषि भूमि प्रयोजन के लिए उपयोग को जा रही दखलतीहत भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारी के का प्रदान किया जाना १ विशेष अवबन्ध अधीनयम

1984

आज दिनांक 14/01-15 किया गया

लॉकर्ट नंबर कोर्ट रीवा

कलनांक 4396 पोस्ट द्वारा आज दिनांक 1-1-15 को प्राप्त

जलक ऑफिस कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R. 258-III/15 जिला सिंगरी

शम प्रमाण उर्फ सुनवाई प्रसाद विरुद्ध पुष्पाराम झा

1	2	3
16-1-19-	<p>1. आवेदक की ओर से श्री <u>महेश सिंह</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार/ आयब तहसीलदार तहसील <u>चितरंगी</u> के प्रकरण क्रमांक <u>185/अ-19 (4)/1986-87</u> में पारित आदेश दिनांक <u>06.05.87</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर <u>सिंगरी</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक <u>25.03.19</u> को कलेक्टर <u>सिंगरी</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>	

श्री  
का  
प्रस्

2019

2